न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 25/2021
रजिस्ट्रेशन नं. :2021/00030

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा हाल उदयपुर (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री अनिल जैन पुत्र श्री लक्ष्मीलाल जैन, विक्रेता विकास ब्रदर्स, विरांगना टॉकिज के पास बॉसवाडा (राज.)
2. श्री लक्ष्मीलाल जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन मालिक विकास ब्रदर्स, विरांगना टॉकिज के पास बॉसवाडा (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 05.07.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा हाल उदयपुर (राज.) के द्वारा दिनांक 15–06–2021 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 05–11–2020 को 04.05 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्स विकास ब्रदर्स, विरांगना टॉकिज के पास बॉसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री अनिल जैन पुत्र श्री लक्ष्मीलाल जैन** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (परी गोल्ड) 15 किलो वाला टीन** आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए **15 किलो रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (परी गोल्ड)** को अच्छी तरह से हिलामिलाकर एक रुप करके 1600 ग्राम वास्ते जॉच हेतु साफ सुखे स्टील के भगोने में खरीदा जिसकी तथा इसकी कीमत 160 रु. विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन–2020 का दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन [illegible] हेतु खरीदशुदा **रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (परी गोल्ड)** को चार [illegible] खाली कॉच के जारो में बराबर–बराबर (प्रत्येक मे करीब 400 ग्राम) [illegible] का मुह ढक्कन की [illegible]ता से

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.07.30 11:06:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कसकर एयर टाईड बन्द नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त चार नमुना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/298 दिनांक 24.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 295 दिनांक 12.11.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (परी गोल्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(I)(ZX) के तहत सबस्टेण्डर्ड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 16–06–2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 05.07.2021 को अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/298 दिनांक 24.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 295 दिनांक 12.11.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय क्रय किया **रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (परी गोल्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(I)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि[illegible] 20[illegible] की धारा 3(I)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया **रिफाईण्ड** [illegible] (परी [illegible]) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धा[illegible]26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.07.30 11:06:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री अनिल जैन पुत्र श्री लक्ष्मीलाल जैन, विक्रेता विकास ब्रदर्स, विरांगना टॉकिज के पास बॉसवाडा को रूपये 5,000/– (अक्षरे रू. पॉच हजार मात्र), श्री लक्ष्मीलाल जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन मालिक विकास ब्रदर्स, विरांगना टॉकिज के पास बॉसवाडा को रूपये 5,000/– (अक्षरे रू. पॉच हजार मात्र)** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के विन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बॉसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.07.30 11:06:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner